

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1613
उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

छात्रों की शिकायतों के निवारण हेतु समर्पित पोर्टल की शुरुआत

†1613. श्री एम. के. राघवन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने यह पाया है कि उच्च शिक्षण संस्थान प्रवेश के दौरान छात्रों के प्रमाण-पत्र जमा कर लेते हैं तथा बकाया फीस का भुगतान न करने के कारण उन्हें वापस नहीं करते हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संस्थानों द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार की ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू करने की कोई योजना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि उसने कार्यक्रमों से नाम वापस लेने की स्थिति में शुल्क वापसी और प्रवेश के समय और/या प्रवेश के बाद मूल प्रमाण-पत्रों को अपने पास रखने संबंधी मामलों में उत्पीड़क और मुनाफाखोरी करने वाली संस्थागत प्रथाओं पर रोक लगाने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए अधिसूचनाएं एवं परामर्श जारी किए हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने सूचित किया है कि इसकी अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2024-2027 के बिंदु संख्या 6.45 और दिनांक 25.08.2017 को जारी सार्वजनिक सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों को प्रमाणपत्र वापस करने का प्रावधान है। एआईसीटीई ने दिनांक 16.02.2021 को एक परिपत्र भी जारी किया है जिसमें एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों को विधिवत सत्यापन के बाद छात्रों के मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र न रोकने का निदेश दिया गया है।

इसके अलावा, यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 और एआईसीटीई (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 में किसी पीड़ित छात्र द्वारा डिग्री, डिप्लोमा या किसी अन्य निर्णय के प्रमाणपत्र या ऐसी संस्था में प्रवेश पाने के उद्देश्य से छात्र द्वारा जमा किए गए किसी अन्य दस्तावेज के रूप में किसी दस्तावेज को रोके रखने या वापस करने से मना करने के संबंध में की गई शिकायत(शिकायतें) या किसी ऐसे पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम संबंधी किसी भी शुल्क या फीस का भुगतान करने के लिए ऐसे छात्र को प्रेरित या बाध्य करने के उद्देश्य से, जिसे वह आगे जारी रखने की इच्छा नहीं रखता है, को शिकायतों में से एक के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ): हितधारकों की शिकायत निवारण प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए, यूजीसी ने एक समर्पित पोर्टल "यूजीसी ई-समाधान: एक कदम आगे: हितधारकों को सेवा" विकसित किया है। यह सभी हितधारकों के लिए पोर्टल पर अपनी शिकायत/शिकायतें दर्ज करने हेतु एक एकल खिड़की प्रणाली है और माउस के क्लिक पर 24x7 उपलब्ध है। यूजीसी ई-समाधान पोर्टल प्रवेश, परीक्षा, छात्रवृत्ति, शुल्क वापसी और शैक्षणिक जीवन के अन्य पहलुओं से संबंधित मामलों को हल करने के लिए एक संरचनाबद्ध और कुशल तंत्र प्रदान करता है।
